

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

SAKET SPORTS COMPLEX

Saket, New Delhi-110017

दिल्ली विकास प्राधिकरण

साकेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

साकेत, नई दिल्ली-110017

No. F4(824)SSC/DDA2021-22/Elect./550

Dated: 23/05/2022

Notice Inviting Quotation No.01

Online quotations are **invited** on behalf of Chairman of DDA (Sports Wing) for approved & eligible contractors of DDA / CPWD / BSNL / Railways / MES in appropriate categories fulfill the eligibility criteria in open bid system for the following work upto **30.05.2022, 3:00 PM. The quotation shall be uploaded in two parts, namely, 'Part -I' containing Technical Bid and 'Part – II' comprising 'Financial Bid'. The bid not uploaded in accordance with the prescribed manner will not be accounted for at all.**

डीडीए / सीपीडब्ल्यूडी / बीएसएनएल / रेलवे / एमईएस के अनुमोदित और पात्र ठेकेदारों के लिए डीडीए (स्पोर्ट्स विंग) के अध्यक्ष की ओर से ऑनलाइन कोटेशन 30.05.2022, 3: 00 अपराह्न तक निम्नलिखित कार्य के लिए खुली बोली प्रणाली में पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले उपयुक्त श्रेणियों में आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशन दो भागों में अपलोड किया जाएगा, अर्थात् 'भाग-I' जिसमें तकनीकी बोली और 'भाग-II' शामिल है जिसमें 'वित्तीय बोली' शामिल है। निर्धारित तरीके से अपलोड नहीं की गई बोली को बिल्कुल भी हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

**Name of work :- Maintenance of Various Sports Complexes / Golf Courses (M/o SSC, DDA)
SH :- Repair and re-strengthening of existing Security Light electrical poles at SSC**

कार्य का नाम :- विभिन्न खेल परिसरों/गोल्फ कोर्सों का रखरखाव (एसएससी, डीडीए मंत्रालय)।

उपशीर्ष :- एसएससी में मौजूदा सुरक्षा लाइट बिजली के खंभों की मरम्मत और पुनः सुदृढीकरण ।

Estimated cost: Rs. 2,45,700/-

Earnest money-Rs. 10,000/-

S.No.	Description	Qty.	Unit	Rate	Amount
1	Repair and re- strengthening o existing 4 meter high steel tubular pole including dismantling of existing cement concrete foundation and making of new suitable size cement concrete foundation 1:2:4 (1 Cement : 2 Course sand : Aggregate stone) Complete with welding works, making hole for cable entry arrangement, drilling, threading connection testing removing and re-fixing of existing connector box fitting and bracket etc. as required.	65	Each		

Quotation documents can be obtained / download on the e-tendering portal i.e. **website <https://eprocure.gov.in/eprocure/apporwww.dda.org.in> upto 30.05.2022, 3:00 PM (last date of sale)and Opening of technical bid on 31.05.2022,03:00 PM Earnest money amounting to **Rs.10,000/-** and shall be deposited through RTGS/NEFT in the account of “CAU SPORTS DDA(Emd Account)” having account No.1614159849 with “Kotak Mahindra Bank, Gulmohar Park, New Delhi- 110049, (IFSC.**

KKBK0000184). The unique transaction reference of RTGS/NEFT shall have to be uploaded by the quotationer in the E-Tendering system by the prescribed date. The DDOs concern will get earnest money verified from their banks based on the unique transaction reference no. against each RTGS/NEFT payment before the tenders are opened.

कोटेशन दस्तावेज ई-टेंडरिंग पोर्टल यानी वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/apporwww.dda.org.in> पर 30.05.2022, अपराह्न 3:00 बजे (बिक्री की अंतिम तिथि) और उद्घाटन पर प्राप्त/डाउनलोड किए जा सकते हैं। 31.05.2022, 03:00 अपराह्न को तकनीकी बोली की राशि 10,000/- रुपये की बयाना राशि और आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से "कोटक के साथ खाता संख्या 1614159849" सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए (ईएमडी खाता) के खाते में जमा की जाएगी। महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली- 110049, (IFSC. KKBK0000184)। आरटीजीएस/एनईएफटी के अनूठे लेनदेन संदर्भ को कोटेशनर द्वारा ई-निविदा प्रणाली में निर्धारित तिथि तक अपलोड करना होगा। डीडीओ की चिंता अद्वितीय लेनदेन संदर्भ संख्या के आधार पर अपने बैंकों से बयाना राशि सत्यापित करवाएगी। निविदा खोले जाने से पहले प्रत्येक आरटीजीएस/एनईएफटी भुगतान के लिए।

Technical Bid (First cover)

The quotations are required to furnish following documents in technical bid:-

- i. Scanned copy of reference of RTGS/NEFT (EMD).
- ii. Scanned copy of PAN No.
- iii. Scanned copy of active and valid GST Registration as on the last day of bidding.
- iv. Scanned copy valid enlistment certificate in appropriate category.
- v. Scanned copy of Proof of registration in Contractors Registration Board (CRB) of DDA.
- vi. Scanned copy of Turnover Certificate duly certified with UDIN generated by Chartered Accountant/CA firm.
- vii. Scanned copy of valid electrical contractor licence.
- viii. Scanned copy of undertaking of Rs.100/- non-judicial stamp paper that bidder has not been blacklist from tendering process by any Govt. Organization.

तकनीकी बोली में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कोटेशन आवश्यक हैं: -

- i. आरटीजीएस/एनईएफटी (ईएमडी) के संदर्भ की स्कैन की गई प्रति।
- ii. पैन नंबर की स्कैन कॉपी
- iii. बोली लगाने के अंतिम दिन तक सक्रिय और वैध जीएसटी पंजीकरण की स्कैन की गई प्रति।
- iv. उचित श्रेणी में स्कैन की गई कॉपी वैध नामांकन प्रमाण पत्र।
- v. डीडीए के ठेकेदार पंजीकरण बोर्ड (सीआरबी) में पंजीकरण के प्रमाण की स्कैन की गई प्रति।
- vi. चार्टर्ड एकाउंटेंट / सीए फर्म द्वारा उत्पन्न यूडीआईएन के साथ विधिवत प्रमाणित टर्नओवर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति।
- vii. वैध विद्युत ठेकेदार लाइसेंस की स्कैन की गई प्रति।
- viii. 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर के उपक्रम की स्कैन की गई प्रति कि बोली लगाने वाले को किसी भी सरकार द्वारा निविदा प्रक्रिया से काली सूची में नहीं डाला गया है। संगठन।

Price Bid

Schedule of Financial bid in the form of BoQ_XXXXX.xls.

मूल्य बोली

BoQ_XXXXX.xls के रूप में वित्तीय बोली की अनुसूची।

TERMS & CONDITIONS:-

1. The work shall be done as per CPWD specifications.
2. Quoted rate should be inclusive of all taxes / levies including GST, payable under respective states, DDA will not entertain any claim, whatsoever in this regard.
3. The payment will be made after entire satisfaction of AE(Elect.)/Secretary/SSC, DDA.
4. No T & P will be issued by Department.
5. No advance payment will be made to the agency.
6. Commissioner (Sports) reserves the right to accept or reject any bid / quotation without assigning any reason.
7. Commissioner (Sports) reserves the right to debar the concerned agency if the work is not completed in stipulated time as work is found to be substandard.
8. Conditional quotation will not be accepted.
9. Necessary statutory deductions as applicable will be made.
10. 10% Security Deposit will be deducted from the tender amount.
11. No minor shall be engaged at site.
12. Nothing extra will be paid to the agency by the department.
13. Validity of Quotation is 60 days from the date of opening.
14. Debarred agency / or individual shall not be permitted to participate in the tendering process. Agency should be reputed and does not have any tarnished reputation.
15. Any individual who has been debarred is not permitted to take part in any negotiations or represent an agency even if he holds a power of attorney on the agencies behalf. Any agency engaging debarred persons is also liable to debaring.
16. The experience of agencies should be taken into account rather than individuals incorporated with the agency, which does not include proprietorship.
17. The quantities of items in schedule are tentative which may change depending upon site conditions.
18. If the entire work is not done within the stipulated time mentioned in work order, it will be sole discretion of the Secretary/SSC to accept the work of item on such terms as the Secretary deemed fit and proper or to cancel the work order/ to stop any payment against the work / to forfeit the earnest money or to debar the concerned agency. The decision of the Competent Authority in this behalf shall be final and not to be called in question before any Forum.
19. The contractor will be fully responsible during execution of work. If any loss/ theft/ damage caused at site/ surrounding, the same shall be made good with in quoted rates or recovered from the agency/shall be made good at agency's risk and cost.
20. If any agency submits a faulty or incomplete tender for the first time, 20% of the earnest money so deposited shall be forfeited. However, if the agency commits fault or submits incomplete tender again in the subsequent tenders and the competent Authority finds that the default has been willful, negligent or malafide in its intent, the earnest money shall be forfeited absolutely without assigning any reason and the tenderer shall not be allowed to participate in future tendering.
21. In case the rates quoted by the bidders are same, then in order to arrive at a decision, a draw of lots shall be carried out by a Committee comprising of Secretary of the Complex, Sr. AO (Sports) and AAO of the complex.
22. The experience of agencies should be taken into rather than individuals incorporated with the agency, which does not include proprietorship.
23. Based on real time feedback of members and administrative staff of DDA as and when a deficiency of service is noticed the same will be intimated to the agency/ contractor for rectification. In case there is no improvement/ rectification within prescribed period from the time of intimation proportionate deduction, as approved by the Competent Authority, shall be made from the agency/ contractor.

24. The work shall be completed within 15 days.
25. All material got approved by engineer in charge before execution of work.
26. Agencies/Firms registered with national Small Industries Corporation (NSIC) under Public Procurement policy for Micro Small & Medium Enterprises (MSMEs) will be given exemption from EMD deposit. This exemption will be extended in the cases of goods produced and services provided by MSMEs. However, to avail such exemptions, a valid certificate of registration will be given /uploaded on E-tender Portal by agencies/firms.

नियम एवं शर्तें:-

1. कार्य सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
2. कोट की गई दर में संबंधित राज्यों के तहत देय जीएसटी सहित सभी कर/लेवी शामिल होने चाहिए, इस संबंध में डीडीए किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
3. भुगतान एई (निर्वाचन)/सचिव/एसएससी, डीडीए की पूर्ण संतुष्टि के बाद किया जाएगा।
4. विभाग द्वारा कोई टी एंड पी जारी नहीं किया जाएगा।
5. एजेंसी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
6. आयुक्त (खेल) के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली / कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
7. कार्य पूर्ण न होने पर आयुक्त (खेल) के पास संबंधित एजेंसी को डिबार करने का अधिकार सुरक्षित है निर्धारित समय में कार्य घटिया पाया गया।
8. सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9. लागू होने पर आवश्यक वैधानिक कटौती की जाएगी।
10. निविदा राशि से 10% सुरक्षा राशि की कटौती की जाएगी।
11. किसी अवयस्क को स्थल पर नहीं लगाया जाएगा।
12. विभाग द्वारा एजेंसी को कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
13. कोटेशन की वैधता खोलने की तारीख से 60 दिन है।
14. विवर्जित एजेंसी/या व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजेंसी प्रतिष्ठित होनी चाहिए और उसकी कोई बदनामी नहीं होनी चाहिए।
15. किसी भी व्यक्ति को किसी भी वार्ता में भाग लेने या किसी एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है, भले ही उसके पास एजेंसियों की ओर से मुख्तारनामा हो। वर्जित व्यक्तियों को शामिल करने वाली कोई भी एजेंसी भी डिबारिंग के लिए उत्तरदायी है।
16. एजेंसी में शामिल व्यक्तियों के बजाय एजेंसियों के अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें स्वामित्व शामिल नहीं है।
17. अनुसूची में मदों की मात्रा अस्थायी है जो साइट की स्थितियों के आधार पर बदल सकती है।
18. यदि कार्य आदेश में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर पूरा कार्य नहीं किया जाता है, तो यह सचिव/एसएससी के विवेकाधिकार में होगा कि वह आइटम के काम को ऐसी शर्तों पर स्वीकार करे जो सचिव को उचित और उचित समझे या कार्य आदेश को रद्द करने के लिए / काम के बदले किसी भी भुगतान को रोकने के लिए / बयाना राशि को जब्त करने या संबंधित एजेंसी को डिबार करने के लिए। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी फोरम के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

19. कार्य के निष्पादन के दौरान पूरी तरह से ठेकेदार जिम्मेदार होगा। यदि स्थल/आसपास पर किसी प्रकार की हानि/चोरी/क्षति हुई है, तो उसे उद्धृत दरों में पूरा किया जाएगा या एजेंसी से वसूल किया जाएगा/एजेंसी के जोखिम और लागत पर पूरा किया जाएगा।

20. यदि कोई एजेंसी पहली बार दोषपूर्ण या अधूरी निविदा प्रस्तुत करती है, तो जमा की गई बयाना राशि का 20% जब्त कर लिया जाएगा। तथापि, यदि एजेंसी गलती करती है या बाद की निविदाओं में फिर से अधूरी निविदा प्रस्तुत करती है और सक्षम प्राधिकारी को पता चलता है कि चूक जानबूझकर, लापरवाही या दुर्भावना से की गई है, तो बयाना राशि बिना कोई कारण बताए पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी और निविदाकर्ता को भविष्य की निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

21. यदि बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरें समान हैं, तो किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए, परिसर के सचिव, सीनियर एओ (खेल) और एएओ की एक समिति द्वारा ड्रा निकाला जाएगा। जटिल।

22. एजेंसी में शामिल व्यक्तियों के बजाय एजेंसियों के अनुभव को लिया जाना चाहिए, जिसमें स्वामित्व शामिल नहीं है।

23. डीडीए के सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों के वास्तविक समय के फीडबैक के आधार पर जब भी सेवा में कोई कमी देखी जाएगी तो उसे सुधारने के लिए एजेंसी/ठेकेदार को सूचित किया जाएगा। यदि सूचना के समय से निर्धारित अवधि के भीतर कोई सुधार/सुधार नहीं होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आनुपातिक कटौती एजेंसी/ठेकेदार से की जाएगी।

24. कार्य 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

25. कार्य के निष्पादन से पहले सभी सामग्री को प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित किया गया।

26. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के तहत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के साथ पंजीकृत एजेंसियों/फर्मों को ईएमडी जमा से छूट दी जाएगी। यह छूट एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मामले में बढ़ाई जाएगी। तथापि, ऐसी छूटों का लाभ उठाने के लिए एजेंसियों/फर्मों द्वारा पंजीकरण का एक वैध प्रमाण पत्र ई-निविदा पोर्टल पर दिया/अपलोड किया जाएगा।

A.E. (Elect.) / SSC
सहायक अभियंता विद्युत / एसएससी

Copy to:-

1. Commissioner (Sports), DDA-For information please.
2. Director (System)/DDA through E-Mail. ddatender@dda.org.in
3. Sr. A.O. (Sports), DDA.
4. Secretary / SSC
5. All Secretaries of the DDA Sports Complexes.
6. DDA Contractor association E-18 Vikas kuteer, New Delhi
7. DDA Contractor Welfare Association, Room no.12, Barrack no.1, Block-A,Vikas Kuteer, New Delhi.
8. Delhi Contractor Welfare Association (C), 306,Masjid Moth, NDSE, Part-II, New Delhi.
9. AAO / SSC.
10. Notice Board.

में कॉपी:-

1. आयुक्त (खेल), डीडीए- जानकारी के लिए कृपया।
2. निदेशक (सिस्टम)/डीडीए ई-मेल के माध्यम से। ddatender@dda.org.in
3. वरिष्ठ ए.ओ. (खेल), डीडीए।
4. सचिव / एसएससी
5. डीडीए खेल परिसर के सभी सचिव।
6. डीडीए ठेकेदार संघ ई-18 विकास कुटीर, नई दिल्ली
7. डीडीए ठेकेदार कल्याण संघ, कमरा नंबर 12, बैरक नंबर 1, ब्लॉक-ए, विकास कुटीर, नई दिल्ली।
8. दिल्ली ठेकेदार कल्याण संघ (सी), 306, मस्जिद मोठ, एनडीएसई, भाग- II, नई दिल्ली।
9. एएओ / एसएससी।
10. नोटिस बोर्ड।

A.E. (Elect.) / SSC
सहायक अभियंता विद्युत / एसएससी